UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–3519–औ0सं0/2025–2(यू0)ए0एस0/2018 **दिनांक 18 दिसम्बर 2025**

ई–मेल/तत्काल कार्यवाही

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं कानपुर।

विषयः–उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, के द्वारा दिनांक 20.12.2025 को जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने पत्र सं0–12/25 दिनांक 11.12.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा कतिपय मांगों को लेकर दिनांक 20.12.2025 को जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने एवं दिनांक 12.01.2026 को अपनी मांगों को लेकर मा0 ऊर्जा मंत्री जी के आवास पर जाने की सूचना इंगित की है।

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–3/205/24–पी–2–2025 दिनांक 04.12.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश से कारपोरेशन के पत्र संख्या–I/34397/2025–IR–17–Comp no. 8157 दिनांक 16.12.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का सत्याग्रह आन्दोलन/प्रदर्शन/कार्य बहिष्कार करना नियमतः अनुमन्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में डिस्कॉमों के सभी आउटसोर्स एजेन्सियों को सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार से उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं परिचालन का कार्य प्रभावित न हो सके।

उपर्युक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 20.12.2025 को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा कार्य कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये। आउटसोर्स एजेन्सियों को निर्देशित कर दिया जाय कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में प्रतिभाग न करे एवं किसी भी आउटसोर्स कर्मी का अवकाश स्वीकृत न किया जाय। आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 जॉन मथाई)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–3519–औ0सं0/2025, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0),पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0,वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।
6. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को प्रदर्शन के दृष्टिगत जिला/पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन, लखनऊ एवं मा0 मंत्री जी के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था एवं वीडियोग्राफी कराने हेतु।
8. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

संलग्नक–यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबंधक (औ0स0)

एकता!! रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री	संयुक्त मंत्री
मा. कौशल किशोर सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ	मो. खालिद मो. 8585097409	सुरेन्द्र पाण्डेय	हर्षवर्धन	विवेक माथुरे	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341	रमेश चन्द्र राजपूत

संरक्षक	संयुक्त मंत्री	संगठन मंत्री	संगठन मंत्री	प्रचार मंत्री	कार्यालय मंत्री	कोषाध्यक्ष
के.डी. मिश्र	मोती सिंह	हरिश्चन्द्र यादव	रण बहादुर सिंह यादव	रंजीत कनौजिया	सुशील कुमार	प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 12/25 दिनांक 11-12-2025

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय– **पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन व संगठन पदाधिकारियों के बीच दिनांक 26.11.2025 को हुई बैठक वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप कार्यवृत्त (Minutes of Meeting) जारी न करने एवं मानक समिति की रिपोर्ट आने से पूर्व ही पुनः छटनी शुरू करने के कारण संगठन द्वारा दिनांक 26.11.2025 को स्थगित विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम को शुरू करने के सम्बन्ध में।**

माननीय जी/महोदय जी,

अवगत कराना है कि पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा वर्ष 2017 के अपने स्वयं के आदेश का उल्लंघन कर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के परिचालन व अनुरक्षण कार्य में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी करने, आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी करने के उपरान्त दिनांक 23.05.2025 को विद्युत उपकेन्द्रों के परिचालन व अनुरक्षण कार्य को करने के लिए कर्मचारियों को तैनात करने हेतु मानक निर्धारित करने के लिए समिति का गठन करने एवं दिनांक 04.09.2025 को अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन द्वारा 15 दिन के अन्दर मानक समिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने हेतु उचित कार्यवाही करने का आश्वासन देने के बावजूद भी मानक समिति की रिपोर्ट उपलब्ध न कराने, 55 वर्ष का हवाला देकर कर्मचारियों को कार्य से हटाने, मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश पर पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा दिनांक 18.09.2025 को किये गये आदेश के अनुरूप अनुबन्ध न करने, वेतन रू0 18000/– निर्धारित न करने, मार्च 2023 में हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने, घायल कर्मचारियों का कैशलेस इलाज न कराने, घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल से काट कर भुगतान न करने, पूर्व में हुए समझौतों का पालन न करने, मीटर रीडिंग का कार्य कर रहे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के हिसाब से वेतन का भुगतान न करने, स्मार्ट मीटर लगने की स्थिति में कर्मचारियों को कार्य से हटाने आदि के कारण संघ द्वारा अपने पत्र संख्या–4/25 दिनांक 04.11.2025 के माध्यम से दिनांक 26.11.2025 को शक्ति भवन लखनऊ पर संघ द्वारा शान्ति पूर्वक किये जा रहे विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप प्रशासन के प्रयास से निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), शक्ति भवन, लखनऊ की अध्यक्षता में पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन व संगठन पदाधिकारियों के बीच हुई बैठक वार्ता में आउटसोर्स कर्मचारियों के ज्वलंत समस्याओं पर सहमति बनी, जिसको ध्यान में रखकर तथा प्रबन्धन के अनुरोध पर संगठन द्वारा किये जा रहे शांति पूर्वक विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। किन्तु पावर कार्पोरेशन प्रबंन्धन द्वारा बैठक वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप कार्यवृत्त (Minutes of Meeting) जारी न करने के सम्बन्ध में संगठन द्वारा अपने पत्र संख्या–4/25 दिनांक 04.12.2025 के माध्यम से अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन को अवगत कराने के बावजूद भी अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन द्वारा उचित कार्यवाही

क्रमशः 2

एकता!   रजि. सं. 10134   संघर्ष!!   विश्वास!!!   विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री	संयुक्त मंत्री
मा. कौशल किशोर सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ	मो. खालिद मो. 8565087409	सुरेन्द्र पाण्डेय	हर्षवर्धन	विवेक माधुरे	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341	रमेश चन्द्र राजपूत

संरक्षक	संयुक्त मंत्री	संगठन मंत्री	संगठन मंत्री	प्रचार मंत्री	कार्यालय मंत्री	कोषाध्यक्ष
के.डी. मिश्र	मोती सिंह	हरिश्चन्द्र यादव	रण बहादुर सिंह यादव	रंजीत कनौजिया	सुशील कुमार	प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 12/25   दिनांक 11-12-2025

न करने एवं मानक समिति की रिपोर्ट आने से पूर्व ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भिन्न भिन्न विद्युत उपकेन्द्रों पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी शुरू करने के कारण संगठन द्वारा दिनांक 26.11.2025 को स्थगित किये गये विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम को पुनः शुरू करते हुए दिनांक 20.12.2025 से जिला मुख्यालयों पर शांति पूर्वक विरोध प्रदर्शन शुरू करने तथा दिनांक 12.01.2026 को मा0 ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मिलकर आउटसोर्स कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराने का निर्णय लिया गया है। जिसमें प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों से चलकर आये आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जायेगा।

अतः माननीय जी/श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त को ध्यान में रखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री
मो0 नं0 : 8400754341

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. माननीय ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
4. श्रीमान पुलिस आयुक्त (कमिश्नरेट) महोदय, महानगर, लखनऊ।
5. श्रीमान पुलिस उपायुक्त (कमिश्नरेट) मध्य, हजरतगंज, लखनऊ।
6. अपर श्रमायुक्त महोदया, ए0पी0सेन रोड, चारबाग, लखनऊ।
7. श्रीमान सम्बन्धित थानाध्यक्ष महोदय, लखनऊ।
8. समस्त दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या-I/34397/2025-IR-17- comp no. 8157 **दिनांक 16-12-2025**

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को,
वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा एवं कानपुर।

विषयः उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम—1966 के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदया / महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-03/205/24-पी-2-2025 दिनांक 04.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

Pkumar

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/34397/2025-IR-17 तद्दिनांक 16-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-03/205/24-पी-2-2025 दिनांक 04.12.2025 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/ एस०एल०डी०सी०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
4. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन।
5. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०) /वित्त/ वितरण / वाणिज्य / करापोरेट प्लानिंग / आई०टी०, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०,शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-I / II / III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियंता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
13. उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23-ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।
14. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

15. अधिशासी अभियंता (वेब), क०सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/34397/2025-IR-17 तद्दिनांक 16-12-2025

प्रतिलिपि उ०प० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/ सेवा संघों को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।

संलग्नक यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

270809/2025/10000282

पंजी० संख्या 3421 डी०सं०-17/पत्रालि/ 25

पत्रवली संख्या............................

क्रमांक............................

24-20099/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग

I/1163472/2025

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या-3/205/24-पी-2-2025

लखनऊ:दिनांक 04.12.2025

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर पदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 4-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, कैस्को, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा और 9-UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

राजकुमार

विशेष सचिव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 05.12.2025 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

Smt Nansi Gupta
Put up on e-office
Kumar
08/12/25

संजय शुक्ला

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No. PAUPPC-GMIR0UNON/4/2024-Industrial Relation 17 UPPCL (Computer No. 8157)
Generated from eOffice by NANSI GUPTA, NANSI(15000182)/ARO/IR 17, Asst.Rev.Officer, UPPCL on 18/12/2025 12:13 pm

24-20099/170/2023-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग
I/1163472/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
(6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
(7) सूचना निदेशक, उ०प० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
(8) विधायी अनुभाग-1।
(9) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(10) प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
(11) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
(12) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
(13) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
(14) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
(15) गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।